रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 1975/भाद्र 3, 1897
No. 234] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 1975/BHADRA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August 1975

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37, read with Section 3 and 3A, of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1962:—

(i) in rule 4A for the expression "columns (2) and (3)", the expression "columns (3) and (4)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1) of rule 5,—

(a) under the heading "Group No. 6—Maintenance trades group", in the entry against item 2, for the expression "Mechanic (Textile Machinery)", the expression "Mechanic Maintenance (Textile Machinery)" shall be substituted;

(b) under the heading "Group No. 16—Textile Trades Group", after item 3 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be inserted, namely:—

"4.	Winder	702·40	Six months";

(c) after group No. 19, the following group, items and entries shall be inserted, namely:—

"Group No. 20—Cutting and Tailoring trades group

1.	Designer and Master Cutter	794·60 794·40	Two years".

(iii) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE I

Serial No.	Designated Trade	Minimum Educational Qualifications	
		Essential	Desirable
1	2	3	4
1	Instrument Mechanic (Chemical)	Pass in Matriculation Examination or its equivalent, or the tenth class under the 10+2 system with Physics, Chemistry and Mathematics.	..
2	Laboratory Assistant		
3	Attendant Operator		
4	Book Keeping and Accountancy	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10+2 system with Commerce as special subject.	..
5	Store Keeper (including Purchaser)		
6	Cashier (General)		
7	Sales Assistant (General))	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or tenth class under the 10+2 system.	..
8	Clerk (General)		
9	Cook (General)		
10	Cook (Vegetarian)		
11	Steward		
12	Baker or Confectioner		
13	House Keeper		
14	Hotel Clerk or Receptionist		
15	Process Cameraman	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or tenth class under the 10+2 system with Physics and Chemistry.	..
16	Retoucher Lithographic		
17	Engraver		
18	Mechanic (Maintenance Chemical Plant)	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or tenth class under the 10+2 system with Science as one of the subject.	..
19	Boiler Attendant		
20	Fitter Structural . . .	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10+2 system with Science and Drawing as subjects.	..

1	2	3	4
21	Draughtsman Civil	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10+2 system with Science and Mathematics as elective subjects.	..
22	Draughtsman Mechanical		
23	Surveyor		
24	Millwright/Mechanic (Maintenance)	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10 / 2 system	Should have had Science as one of the subjects.
25	Tool and Die Maker		
26	Instrument Mechanic		
27	Refrigeration and Air Conditioning Mechanic		
28	Electrician		
29	Compositor Hand	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10+2 system with proficiency in English and any Regional language.	..
30	Lino Operator		
31	Mono Operator		
32	Mono Caster		
33	Steam Turbine Operator	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the tenth class under the 10+2 system.	
34	Switch Board Attendant		
35	Mechanic Maintenance (Textile Machinery)		
36	Designer and Master Cutter		
37	Fitter	Passed the 8th class Examination or its equivalent.	Pass in Matriculation Examination or its equivalent or the 10th class under the 10+2 system with Science as one of the subjects. [For serial numbers 37 to 47 (both inclusive) only].
38	Turner		
39	Machinist		
40	Machinist (Grinder)		
41	Lineman		
42	Wireman		
43	Mechanic (Motor Vehicle)		
44	Mechanic (Diesel)		
45	Mechanic (Tractor)		
46	Mechanic (Earth Moving Machinery)		
47	Plumber		
48	Blacksmith	Passed the 8th class Examination or its equivalent.	..
49	Pattern Maker		
50	Moulder		
51	Sheet Metal Worker		
52	Carpenter		
53	Welder (Gas and Electric)		
54	Brick Mason/ Building Constructor		
55	Letter Press Machine Man (Planten and Cylinder)		
56	Book Binder		
57	Mechanic (Dairy Maintenance)		
58	Weaver	Passed the 7th class Examination or its equivalent.	..
59	Brick Layer	Passed the 5th class Examination.	..
60	Doffer-cum-Piecer		
61	Tenter (Drawing and Speed Fly Frames)		
62	Winder		

(iv) for Schedule IIA, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE IIA

(*See* Rule 4A)

Serial No.	Name of State	Ratio of Scheduled Castes Apprentices to the total Apprentices	Ratio of Scheduled Tribes Apprentices to the total Apprentices
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	1:8	1:20
2	Assam	1:17	1:9
3	Bihar	1:7	1:11
4	Gujarat	1:14	1:7
5	Haryana	1:5	1:20
6	Himachal Pradesh	1:5	1:20
7	Jammu & Kashmir	1:12	1:20
8	Karnataka	1:8	1:20
9	Kerala	1:11	1:20
10	Madhya Pradesh	1:8	1:5
11	Maharashtra	1:17	1:17
12	Manipur	1:50	1:3
13	Meghalaya	1:100	1:2
14	Nagaland	—	1:2
15	Orissa	1:7	1:4
16	Punjab	1:4	1:20
17	Rajasthan	1:6	1:8
18	Tamil Nadu	1:6	1:20
19	Tripura	1:8	1:3
20	Uttar Pradesh	1:5	1:20
21	West Bengal	1:5	1:17
22	Andaman and Nicobar Islands	..	1:6
23	Arunachal Pradesh	..	1:2
24	Chandigarh	1:8	1:20
25	Dadar and Nagar Haveli	1:50	1:2
26	Delhi	1:6	1:13
27	Goa, Daman and Diu	1:50	1:20
28	Lakshdeep	..	1:2
29	Mizoram	..	1:2
30	Pondicherry	1:6	1:20"

[No. DGET-37/1/75-AP.]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 75

सा० का० नि० 459 (अ).—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 3 और 3क के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, शिक्षुता नियम, 1962 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम शिक्षुता (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1962 में,—

(i) नियम 4 क में "स्तम्भ (2) और (3)" पद के स्थान पर "स्तम्भ (3) और (4)" पद रखा जाएगा ।

(ii) नियम 5 के उप-नियम (1) में,—

(क) शीर्षक "वर्ग संख्या–6 मेन्टेनेन्स व्यवसाय वर्ग" के अन्तर्गत, मद 2 के सामन प्रविष्टि में 'मेकैनिक (टैक्सटाइल मशीनरी)' पद के स्थान पर 'मेकैनिक मैन्टेनेन्स (टैक्सटाइल मशीनरी)' पद रखा जायेगा;

(ख) शीर्षक "वर्ग संख्या 16 टेक्सटाइल व्यवसाय वर्ग" के अन्तर्गत मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"4 वाइंडर	702.40	छः माह" ;

(ग) वर्ग संख्या 19 के पश्चात् निम्नलिखित वर्ग, मदें और प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी अर्थात्:—

"वर्ग संख्या 20—कटाई और सिलाई व्यवसाय वर्ग

1. डिजाइनर आर	794.60	दो वर्ष" ;
मास्टर कटर	794.40	

(iii) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1

क्रम संख्या	अभिहित व्यवसाय	न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं	
		अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3	4
1	उपकरण मेकैनिक (रसायन)	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और गणित विषय लेकर, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	
2	प्रयोगशाला सहायक		
3	सह प्रचालक		
4	वहीखाता और लेखाविधि	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत वाणिज्य विशेष विषय सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
5	भंडारपाल (क्रेता सहित)		
6	खजांची (साधारण)		
7	विक्रय सहायक (साधारण)	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
8	लिपिक (साधारण)		
9	रसोइया (साधारण)		
10	रसोइया (शाकाहारी)		
11	स्टीवार्ड		
12	नानवाई या हलवाई		
13	गृह प्रबंधक		
14	होटल लिपिक या स्वागत-कर्ता		

1	2	3	4
15	प्रोसेस कैमरामैन	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र सहित, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
16	रीटचर लिथोग्राफिक		
17	इंग्रेवर		
18	मेकैनिक (मेन्टेनेन्स केमिकल प्लांट)	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, विज्ञान एक विषय सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
19	बायलर अटेंडेंट		
20	फिटर स्ट्रक्चरल	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, विज्ञान और ड्राइंग विषय सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
21	सिविल नक्शानवीस	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, विज्ञान और गणित एच्छिक विषय सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	..
22	यांत्रिकी नक्शानवीस		
23	सर्वेक्षक		
24	मिलराइट/यांत्रिक (मेन्टेनेन्स)	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	विज्ञान भी एक विषय होना चाहिए ।
25	टूल और डाई मेकर		
26	उपकरण यांत्रिक		
27	प्रशीतन एवं वातानुकूलन यांत्रिक	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण और अंग्रेजी तथा [अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता ।	
28	बिजली मिस्त्री		
29	कम्पोजीटर हैंड		
30	लीनो प्रचालक		
31	मोनो प्रचालक		
32	मोनो कास्टर		

1	2	3	4
33	माप टर्बाईन चालक		
34	स्विच बोर्ड परिचर		
35	मेन्टेनेन्स यांत्रिक (टेक्सटाइल मशीनरी)	मैट्रिकुलेशन्स या इसके सम-कक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।	. .
36	डिजाइनर और मास्टर कटर		
37	फिटर		
38	खरादिया		
39	मशीनिस्ट		
40	मशीनिस्ट (ग्रांइडर)		
41	लाइनमैन		
42	वायरमैन		
43	यांत्रिक (मोटरगाड़ी)		
44	यांत्रिक (डीजल)		
45	यांत्रिक (ट्रेक्टर)		
46	यांत्रिक (अर्थमूविंग मशीनें)	आठवीं श्रेणी की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	मैट्रिकुलेशन या इसके सम-कक्ष परीक्षा या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत, विज्ञान विषय सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण [केवल क्रम संख्या 37 से 47 तक (दोनों को मिलाकर) के लिए]
47	नलसाज		
48	लुहार		
49	पैटर्न मेकर		
50	मोल्डर		
51	शीटमेटल वर्कर		
52	बढ़ई		
53	वैल्डर (गैस और बिजली)		
54	ईट राजगीर/भवन निर्माता		
55	लैटर प्रैस मशीन-मैन		
56	जिल्द साज़		
57	यांत्रिक (डेरी मेन्टेनेन्स)		
58	जुलाहा	सातवीं श्रेणी की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।	
59	ब्रिक लेयर		
60	डाफर और पीसर		
61	टेटर (ड्राइंग और स्पीड फ्लाई फ्रेम्स)	पांचवीं श्रेणी की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।	
62	वांइडर		

(I) अनुसूची II– क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची II–क

(नियम 4 क देखिए)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति के शिक्षुओं और कुल शिक्षुओं के बीच अनुपात	अनुसूचित जन-जाति के शिक्षुओं और कुल शिक्षुओं के बीच अनुपात
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1:8	1:20
2	असम	1:17	1:9
3	बिहार	1:7	1:11
4	गुजरात	1:14	1:7
5	हरियाणा	1:5	1:20
6	हिमाचल प्रदेश	1:5	1:20
7	जम्मू व कश्मीर	1:12	1:20
8	कर्नाटक	1:8	1:20
9	केरल	1:11	1:20
10	मध्य प्रदेश	1:8	1:5
11	महाराष्ट्र	1:17	1:17
12	मणिपुर	1:50	1:3
13	मेघालय	1:100	1:2
14	नागालैंड	..	1:2
15	उड़ीसा	1:7	1:4
16	पंजाब	1:4	1:20
17	राजस्थान	1:6	1:8
18	तमिलनाडु	1:6	1:20
19	त्रिपुरा	1:8	1:3
20	उत्तर प्रदेश	1:5	1:20
21	पश्चिम बंगाल	1:5	1:17
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	1:6
23	अरुणाचल प्रदेश	..	1:2
24	चंडीगढ़	1:8	1:20
25	दादर और नागर हवेली	1:50	1:2
26	दिल्ली	1:6	1:13
27	गोवा, दमन और दीव	1:50	1:20
28	लक्षद्वीप	..	1.2
29	मिजोरम	..	1:2
30	पांडिचेरी	1:6	1:20"

[सं० डी जी ई टी–37/1/75–ए०पी०]

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby appoints the Deputy Educational Adviser (Technical) in the Ministry of Education and Social Welfare, Department of Education, New Delhi, as Additional Apprenticeship Adviser with the designation of Additional Central Apprenticeship Adviser to assist the Central Apprenticeship Adviser in the performance of his functions.

[No. DGET-27/1/75-AP(i)]

स०का०नि० 460 (अ).—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को उनके कृत्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली को अपर शिक्षुता सलाहकार नियुक्त करती है जिसका पदाभिधान अपर केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार होगा ।

[सं० डीजीईटी–27/1/75–ए०पी० (i)]

G.S.R. 461(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby appoints the officers of the Regional Boards of Apprenticeship Training sponsored by the Ministry of Education and Social Welfare mentioned in column 2 of the Schedule annexed hereto as Assistant Apprenticeship Advisers with the designations as shown in column 3 thereof to assist the Central Apprenticeship Adviser in the performance of his functions.

THE SCHEDULE

S.No.	Post held	Designated as
1	2	3
1.	Training Officer, Regional Board of Apprentice ship Training, Kanpur.	Assistant Central Apprenticeship Adviser
2.	Training Officer, Regional Board of Apprenticeship Training, Calcutta.	Assistant Central Apprenticeship Adviser
3.	Training Officer, Regional Board of Apprenticeship Training, Madras.	Assistant Central Apprenticeship Adviser
4.	Training Officer, Regional Board of Apprenticeship Training, Bombay.	Assistant Central Apprenticeship Adviser

[No. DGET-27/1/75-AP.(ii)]

स०का०नि० 461(अ).—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को उनके कृत्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित अधिकारियों को उसके स्तम्भ 3 में दर्शित पदाभिधानों सहित सहायक शिक्षुता सलाहकार नियुक्त करती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	धारित पद	पदाभिधान
1	2	3
1.	प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर ।	सहायक केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
2.	प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता ।	सहायक केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
3.	प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मद्रास ।	सहायक केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
4.	प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई ।	सहायक केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार

[सं० डीजीईटी-27/1/75-ए० पी० (ii)]

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consultation with the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies the following subject fields in engineering and technology as designated trades for the purposes of the Act, namely:—

1. Civil Engineering
2. Irrigation Engineering
3. Public Health Engineering
4. Structural Engineering
5. Dam Engineering
6. Highway Engineering
7. Construction Technology
8. Mechanical Engineering
9. Refrigeration and Air Conditioning
10. Machine Tool Technology
11. Production Engineering
12. Automobile Engineering
13. Electrical Engineering
14. Electronics and Telecommunication Engineering
15. Computor Engineering
16. Television Engineering
17. Industrial Electronics
18. Radio and Electronic Engineering
19. Nuclear Engineering
20. Avionics
21. Metallurgy
22. Textile Engineering
23. Agricultural Engineering

24. Chemical Engineering
25. Sugar Technology
26. Marine Engineering
27. Nautical Engineering
28. Aeronautical Engineering
29. Mining
30. Plastic Technology
31. Textile Chemistry
32. Naval Architecture
33. Architecture
34. Regional and Town Planning
35. Textile Technology
36. Glass Technology
37. Ceramic Technology
38. Silicate Technology
39. Pharmaceutical Science
40. Oil and Soap Technology
41. Pigment and Paint Technology
42. Dye stuff Technology
43. Printing Technology
44. Leather Technology
45. Leather goods and Foot Wear Manufacture
46. Rubber Technology
47. Food Technology
48. Bio-Chemical Engineering
49. Instrumentation Technology
50. Petroleum Engineering
51. Petroleum Technology
52. Applied Geology
53. Applied Geophysics
54. Jute Technology
55. Paper Technology
56. Catering Technology
57. Plastic Engineering.

[No. DGET-2/2/75-AP.]

सा० का० नि० 462(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 2 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित विषय-क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अभिहित व्यवसायों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

1. सिविल इंजीनियरी
2. सिंचाई इंजीनियरी
3. लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
4. संरचना इंजीनियरी
5. बांध इंजीनियरी
6. महामार्ग इंजीनियरी

7. निर्माण प्रौद्योगिकी
8. यांत्रिक इंजीनियरी
9. प्रशीतन एवं वातानुकूलन
10. मशीनी औजार प्रौद्योगिकी
11. उत्पादन इंजीनियरी
12. आटोमोबाइल इंजीनियरी
13. विद्युत-इंजीनियरी
14. इलेक्ट्रानिकी और दूर-संचार इंजीनियरी
15. अभिकलित्र इंजीनियरी
16. दूर-दर्शन इंजीनियरी
17. औद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी
18. रेडियो और इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी
19. न्यूक्लीयर इंजीनियरी
20. विमानिकी
21. धातु विज्ञान
22. टेक्सटाइल इंजीनियरी
23. कृषि इंजीनियरी
24. रसायन इंजीनियरी
25. शर्करा प्रौद्योगिकी
26. सामुद्रिक इंजीनियरी
27. नाविक इंजीनियरी
28. वैमानिक इंजीनियरी
29. खनन
30. प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
31. टेक्सटाइल रसायनशास्त्र
32. नौ-सेना वास्तुकला
33. वास्तुकला
34. क्षेत्रीय और नगर आयोजना
35. टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी
36. कांच प्रौद्योगिकी
37. मृत्तिका प्रौद्योगिकी
38. सिलिकेट प्रौद्योगिकी
39. औषधि विज्ञान

40. तेल और साबुन प्रौद्योगिकी

41. वर्णक और रंगलेप प्रौद्योगिकी

42. रंग सामग्री प्रौद्योगिकी

43. मुद्रण प्रौद्योगिकी

44. चर्म प्रौद्योगिकी

45. चमड़े के सामान और जूतों का विनिर्माण

46. रबड़ प्रौद्योगिकी

47. खाद्य प्रौद्योगिकी

48. जीव-रासायनिक इंजीनियरी

49. यंत्रीकरण प्रौद्योगिकी

50. पेट्रोलियम इंजीनियरी

51. पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी

52 अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान

53. अनुप्रयुक्त भूभौतिकी

54. जूट प्रौद्योगिकी

55. कागज प्रौद्योगिकी

56. भोजन-प्रबंध प्रौद्योगिकी

57. प्लास्टिक इंजीनियरी

[सं० डी जी ई टी–2/2/75–ए० पी०]

G.S.R. 463(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (4) of Section 1 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby makes, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 247 dated the 12th February, 1962, namely:—

In the said notification, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—

Major Group (Code)	Description	Minor Group (Code)
1	2	3
"31. Leather and Leather products	Repair of shoes and other leather footwear.	314
35. Non-metallic mineral products other than petroleum and coal.	Manufacture of glass bangles and beads.	353
61. Wholesale trade	Wholesale trading in medicines and chemicals.	610
	Wholesale trading in toilets, perfumery and cosmetics.	612
	Wholesale trading in wooden, steel and other metallic furniture and fittings.	614
63. Wholesale trade	Wholesale trading in all kinds of transport and storage equipment.	633

1	2	3
65. Retail trade	Retail trading in fibres, yarns, dhoti, saree, readymade garments of cotton, wool, silk and other textiles and hosiery products. (This includes retail trding in piece goods of cotton, wool, silk and other textiles.)	650
	Retail trading in petrol, mobiloil and allied products.	655
58. Retail trade	Retail trading in transport and storage equipment.	681
	Retail trading in electrical goods like electric fan, bulb etc.	682
	Retail trading in musical instruments, gramophone record; pictures and paintings including curio dealing.	687
69. Trade and Commerce Miscellaneous.	Importing and exporting of goods and commodities.	690
	Provident Funds and Insurances.	693
	Distribution of motion pictures.	697
87. Recreation Services.	Production of motion picture and allied services such as processing, editing etc	870

[No. DGET-1/1/75-AP.]

सा० का० नि० 463 (अ).—शिशु अधिनियम 1961 (1961 का 52) की धारा 1 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि०-247, तारीख 12 फ़रवरी, 1962 में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, वर्तमान विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

बृहत वर्ग (कोड)	विवरण	लघु वर्ग (कोड)
1	2	3
"31. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	जूतों और चमड़े की अन्य पादुकाओं की मरम्मत	314
35. पैट्रोलियम और कोयले से भिन्न अधात्विक खनिज उत्पाद	कांच की चूड़ियों और मनकों का विनिर्माण	353
61. थोक व्यापार . .	दवाओं और रसायनों का थोक व्यापार	610
	शृंगार-सामग्री, सुगंधित सामग्री और प्रसाधन सामग्री का थोक व्यापार	612
	लकड़ी के, इस्पात और अन्य धात्विक फ़र्नीचर और फ़िटिंग का थोक व्यापार	614

1		2	3
63.	थोक व्यापार	सभी प्रकार के परिवहन और भण्डार-करण-उपस्कर का थोक व्यापार	633
65.	खुदरा व्यापार	रेशों, सूतों, धोती, साड़ी सूती, ऊनी, रेशमी और अन्य टैक्सटाइलों के तैयार वस्त्रों और हौजरी उत्पादों का खुदरा व्यापार । (इसमें सूती, ऊनी, रेशमी और अन्य टैक्सटाइलों के टुकड़ों का खुदरा व्यापार भी सम्मिलित है)	650
		पैट्रोल, मोबिल-आयल और संबंधित उत्पादों का खुदरा व्यापार ।	655
68.	खुदरा व्यापार	परिवहन और भण्डार-उपस्कर का खुदरा व्यापार	681
		विद्युत्-सामान, जैसे विद्युत्-पंखा, बल्ब आदि का खुदरा व्यापार	682
		वाद्य यंत्रों, ग्रामोफ़ोन रिकार्ड, चित्रों और पेंटिंगों का जिनमें कौतुक वस्तुओं का व्यापार भी सम्मिलित है, खुदरा व्यापार	687
69.	व्यवसाय और वाणिज्य प्रकीर्ण	माल और वस्तुओं का आयात और निर्यात	690
		भविष्य निधियों और बीमें	693
		चल चित्रों का वितरण	697
87.	मनोरंजन सेवाएं	चल-चित्र का निर्माण और संबंधित सेवाएं, जैसे प्रसंस्करण, सम्पादन आदि ।	870

[सं० डीजीईटी-1/1/75-ए० पी०]

G.S.R. 464(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consultation with the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies the following trades as designated trades for the purposes of said Act, namely:—

Trade	*Code Number* *National Classification of Occupations (1968 pattern)*
1. Designer and Master cutter	794·60, 794·40
2. Winder	702·70

*The reference is to National Classification of Occupations adopted by the Government of India in the Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training).

[No. DGET-51(19)/75-AP(i)]

सा० का० नि० 464 (अ).—केन्द्रीय सरकार, शिशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 2 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित व्यवसायों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अभिहित व्यवसायों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

व्यवसाय	कोड संख्या
	*व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण (1968 पैटन)
1. डिजाइन और मास्टर कटर	794.60, 794.40
2. वाइंडर	702.70

*भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) द्वारा स्वीकृत व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के प्रति निर्देश है ।

[सं० डीजीईटी–51(19)/75–ए०पी० (i)]

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby determines that for each of the designated trades specified in column 1 of the Table below, the ratio of apprentices to workers other than unskilled workers in that trade shall be as indicated in column 3 thereof:—

TABLE

Designated Trade	Code number of National Classification of Occupations (1968 pattern)	Ratio	
		Apprentices	Workers other than unskilled workers.
1	2	3	
1. Designer and Master cutter	794·40 794·60	1	: 5
2. Winder	702·70	1	: 50

[No. DGET-51(19)/75-AP(il)]

सा०का०नि० 465 (अ).—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, निर्धारित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक अभिहित व्यवसाय के लिए, उस व्यवसाय में अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों और शिक्षुओं का अनुपात स्तम्भ 3 में दर्शाए गए के अनुसार होगा :—

सारणी

अभिहित व्यवसाय	व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण की कोडसंख्या (1968 पैटर्न)	अनुपात: शिक्षु	अनुपात: अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकार
1	2	3	
1. डिजाइनर ऑर	794.40	1 :	5
मास्टर कटर	794.60	1 :	50
2. बाइंडर	702.70	1 :	50

[सं० डीजीईटी-51(19)/75-एपी० (ii)]

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Directorate General of Employment and Training, the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation No. G.S.R. 734 dated the 6th April, 1968 and the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 571 dated the 7th April, 1971, the Central Government after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby determines that for each of the designated trades specified in column 1 of the Table below, the ratio of apprentices to workers other than unskilled workers in that trade shall be as indicated in column 3 thereof:—

TABLE

Designated trade	Code No. (s) of National classification of Occupations (1968 pattern)	Ratio: Apprentices	Workers other than unskilled workers.
1	2	3	
1. Weaver	704·50	1 :	50
2. Tenter Drawing and Speed/Fly Frames	702·10 702·13 702·16	1 :	25
3. Doffer-cum-piecer	702·35 702·00	1 :	50

[No. DGET-51(19)/75-AP(iii)]

ISHWAR CHANDRA, Jt Secy.

सा० का० नि० 466(अ).—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की दिनांक 6 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 734 और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की तारीख 7 अप्रैल, 1971 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 571 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, निर्धारित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक अभिहित व्यवसाय के लिए, उस व्यवसाय में, अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों और शिक्षुओं का अनुपात स्तम्भ 3 में दर्शाए गए के अनुसार होगा :—

सारणी

अभिहित व्यवसाय	व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण की कोड संख्या (1968 पैटर्न)	अनुपात	
		शिक्षु	अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकार
1. जुलाहा	704.50	1 :	50
2. टेन्टर (ड्राइंग एंड स्पीड-प्लाई फ्रेम्स)	702.10 702.13 702.16	1 :	25
3. डाफर और पीसर	702 35 702.00	1 :	50

[सं० डीजीईटी–51(19)/75-ए०पी० (iii)]

ईश्वर चन्द्र संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975